



सं./No.: 2459/37-G-6

दिनांक/Date : 12-12-2023

बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र नेमी आदेश सं. 09/37-जी-6, दिनांक 12-12-2023

1. नियुक्ति:- ग्रुप 'सी' स्थापना में एम0टी0एस0 के पद पर नियुक्ति ।

इस कार्यालय में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती निम्नलिखित कर्मचारी जिनका विवरण नीचे दर्शाया गया है, को एम0टी0एस0 (गैर तकनीकी) (अस्थाई ग्रुप 'सी' स्थापना) के पद पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग, बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, पटना में उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से 29-02-2024 तक या ऐसे समय के लिए जब तक उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो, सातवां वेतन आयोग के वेतन लेवल-1 (18,000-56,900) के वेतनमान में रू0 18,000/- प्रारंभिक वेतन प्रति माह एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय अन्य भत्तों के अनुसार एतद् द्वारा नियमित आधार पर नियुक्त किया गया:-

क्रम सं० Sl No.	नाम एवं पिता का नाम Name & Father's Name	जन्म तिथि DOB	वर्ग/केटेगी Category	शैक्षणिक योग्यता Educational Qualification	पद जिस पर नियुक्ति की गई Post	नियुक्ति की तिथि Date of Appointment
1	अल्का कुमारी पुत्री श्री रंजन कुमार ALKA KUMARI D/O RANJAN KUMAR	05-12-1999	OBC*	B.A(Hons) Political Science	MTS	30-10-2023 (F/N)

* संबंधित कार्मिक की नियुक्ति सामान्य केटेगी (General) के अन्तर्गत किया गया है ।

प्राधिकार: (1) भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का पत्र सं० स्था.3-198/1011-एम.टी.एस दिनांक 19 जून 2023

(2) निदेशक बिहार जी0 डी0 सी0, पटना का पत्र सं० 1985/3-बी दिनांक 03/10/2023 ।

- (1) उपरोक्त कर्मचारी की चिकित्सा जाँच सक्षम अधिकारी द्वारा की जा चुकी है तथा सरकारी सेवा के योग्य पाया गया है ।
- (2) उक्त कर्मचारी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन संबंधित जिलाधिकारी से कराया गया एवं रिपोर्ट संतोषजनक पाया गया ।
- (3) उपरोक्त कर्मचारी का जाति-प्रमाण-पत्र का सत्यापन कराने हेतु सक्षम अधिकारी को भेजी जाएगी ।
- (4) एम0 टी0 एस0 में नए विभागीय भर्ती नियमानुसार उक्त कर्मचारी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों के लिए प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे ।
- (5) उक्त कर्मचारी का वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।
- (6) इनमें होने वाला व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2023-2024 के लिए संरवीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा और उचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

2. प्रशासन को मजबूत बनाना :-

अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता द्वारा गठित पुनरीक्षण समिति द्वारा इस कार्यालय के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) कर्मचारी/अधिकारी को उनके द्वारा 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर सरकारी सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया है ।

क्रम सं०	नाम	पदनाम	50 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तारीख	प्राधिकार
1	Shri Arun Kumar Bishwas	Office Superintendent	31-03-2024	अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता का पत्र सं० प्रशा.- 1328/11-J-3(R&C)(BGDC) दिनांक 31-10-2023
2	Shri Sujindra Kumar Singh	Office Superintendent	01-02-2024	अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता का पत्र सं० प्रशा.- 1328/11-J-3(R&C)(BGDC) दिनांक 31-10-2023

3- त्याग-पत्र:-

इस निदेशालय के निम्नलिखित कार्मिक उनके नाम के सामने अंकित तिथि को अपने पद से त्याग पत्र दिये ।

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	त्यागपत्र स्वीकार करने की तिथि	प्राधिकारी
1.	श्री विकास कुमार, एम०टी०एस०	05/11/2023 (अपरान्ह)	बिहार जी०डी०सी, पटना का पत्र सं० प्रशा०- 2268/5-ए (विकास कुमार) दिनांक 09/11/2023

4. नाम में परिवर्तन: / CHANGE IN NAME-

इस कार्यालय के Shri BRAJKISHOR PD CHOUDHARY, Surveyor ने Swamy's Establishment & Administration के Chapter-56 में निहित प्रावधानों को पूरा करते हुए भारत के राजपत्र सं० 42 दिनांक 21/10/2023 (अश्विन 29,1945) के अनुसार अपना नाम BRAJKISHOR PD CHOUDHARY से परिवर्तन कर BRAJKISHOR PRASAD CHOUDHARY कर लिया है । अतः भविष्य में सभी सरकारी प्रयोजनार्थ इनके इसी नाम का प्रयोग किया जाएगा ।

5. शुद्धि पत्र/Corrigendum-

बिहार जी०डी०सी०, पटना का नेमी आदेश संख्या 07/37-जी-6 दिनांक 17/06/2016 के पैरा-2 (नाम में परिवर्तन/Change of Name) में Swamy's Establishment & Administration के Chapter-57 के स्थान पर Chapter-56 पढ़ा जाय ।



(रवीन्द्र कुमार)
निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
बिहार जी०डी०सी०, पटना ।

वितरण :

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ ।
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता को सूचनार्थ ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ ।
4. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्वारा भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को ई-मेल (admn.soi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।
5. अनुभाग प्रभारी, प्रशासनिक अनुभाग (बि.भू.ऑ.के.)/लेखा अनुभाग (बि.भू.ऑ.के.) को सूचनार्थ एवं
6. आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. अनुभाग प्रभारी, गोपनीय अनुभाग (बि.भू.ऑ.के.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. गार्ड फाईल ।